

दिनांक 01.08.2025 अपराह्न 4:00 बजे अपर सचिव –सह– अध्यक्ष, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सचिवालय संवर्ग के सेवाओं के पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में।

उपस्थिति :-

1. श्रीमती गीता सिंह, अपर सचिव –सह– अध्यक्ष, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री गौतम कुमार चौधरी, अवर सचिव –सह– सदस्य, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।
3. डॉ० प्रमोद कुमार, स्टाफ पशु चिकित्सा पदाधिकारी –सह– सदस्य, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।
4. श्री नीरज देवनाथ, अवर सचिव –सह– सदस्य, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।
5. श्री नितिश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 –सह– सदस्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया।

श्री नितिश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा समिति के समक्ष इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के कतिपय परिपत्र द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का किये गये पुनर्गठन में एक भी पद विभाग स्तर पर कर्णांकित नहीं किया गया है जिस कारण तकनीकी कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है।

बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के कतिपय पद अवर सचिव एवं उसके समकक्ष तक के (लेवल-11) पदाधिकारियों को अनुमान्य है परंतु विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त सेवा के मात्र 13 पद ही स्वीकृत किये गये हैं।

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा एवं कार्यालय परिचारी संवर्ग के भी अपेक्षाकृत काफी कम पद सृजित हैं जिस कारण अधिकांश प्रशाखाओं/कोषांगों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उक्त कर्मियों के संबंध में निर्धारित कार्य का निष्पादन कराया जा रहा है साथ ही विभाग स्तर पर एक भी चालक का पद स्वीकृत नहीं है।

उक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी पदों का विस्तृत विवरणी बनाने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 को दिया गया।

मत्स्य निदेशालय के संबंधित पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि उनके कार्यालय में मात्र तीन प्रशाखा पदाधिकारी का पद ही स्वीकृत है जबकि विगत कुछ वर्षों में मत्स्य निदेशालय के योजना का आकार में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। उक्त कारणवश निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय

कार्यालयों के प्रशासन, नियंत्रण, योगनाओं के कार्यान्वयन आदि में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है।

मत्स्य निदेशालय के उपरोक्त तथ्यों पर अध्यक्ष महोदया द्वारा सम्यकपूर्वक विचार करते हुए सभी पदों का विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन मंतव्य सहित समिति को उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया।

पशुपालन निदेशालय के मुख्यालय स्थापना प्रभारी पदाधिकारी द्वारा समिति के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि विगत कुछ वर्षों में उनके निदेशालय के योजना का आकार काफी बढ़ गया है एवं अन्य कई भिन्न-भिन्न प्रकृति के कार्य में वृद्धि हुयी है जिस कारण प्रशाखाओं की संख्या में वृद्धि की नितांत आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यकपूर्वक विचार करते हुए पशुपालन निदेशालय के संबंधित पदाधिकारी को सचिवालय संवर्ग के सेवाओं के पदों की आवश्यकता से संबंधित विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन मंतव्य सहित समिति को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

गव्य विकास निदेशालय के मुख्यालय स्थापना प्रभारी द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया तथा समिति के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि उनके निदेशालय में मात्र तीन प्रशाखा ही स्वीकृत है जिससे कार्यों के निष्पादन में काफी जटिलता एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत मामले से संबंधित विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन मंतव्य सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश अपर सचिव –सह– अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

उपरोक्त समिति की अगली बैठक की तिथि 06.08.2025 को अपराह्न 4:00 बजे अपर सचिव –सह– अध्यक्ष, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में निर्धारित करते हुए उक्त बैठक में संबंधित प्रतिवेदन लाने का निदेश सभी सदस्यों को दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी।

ह०/—	ह०/—	ह०/—	ह०/—	ह०/—
(श्री नितिश कुमार)	(श्री नीरज देवनाथ)	(डॉ० प्रमोद कुमार)	(श्री गौतम कुमार)	(श्रीमती गीता सिंह)
प्रशाखा पदा०,	अवर सचिव –सह–	स्टाफ पशु	चौधरी, अवर सचिव	अपर सचिव –सह–
प्रशाखा-03	सदस्य, गव्य	चिकित्सा पदा०	–सह– सदस्य,	अध्यक्ष, पशु एवं
–सह– सदस्य,	विकास निदेशालय,	–सह– सदस्य,	मत्स्य निदेशालय,	मत्स्य संसाधन
पशु एवं मत्स्य	बिहार, पटना।	पशुपालन निदे०,	बिहार, पटना।	विभाग,
संसाधन विभाग,		बिहार, पटना।		बिहार, पटना।
बिहार, पटना।				

ज्ञापांक - 3/स्था०(6) 39/2024 -

/ पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 3/स्था०(6) 39/2024 -

/ पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि - निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास एवं तीनों निदेशालय के संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 3/स्था०(6) 39/2024 - 3490

/ पटना - 15, दिनांक - 05/8/25

प्रतिलिपि - आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


05/08/25

सरकार के अवर सचिव।